



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1976/शुक्ल 1, 1898

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1976/JYAISTHA 1, 1898

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1976

राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976

सा० का० नि० 686—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इन विनियम उन्हें समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले विनियमित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(क) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 है।

(ख) ये 1 मई, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रतिनियुक्ति" से सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय में किसी अधिकारी की सेवाओं का सचिवालय में और इनके

विपरीत क्रम से अस्थायी स्थानान्तरण अभिप्रेत है जहां स्थानान्तरण के निबन्धनों को समय-समय पर यथासंशोधित विस मंत्रालय आपन सं० का० 10(24)-ई III/60, तारीख 14 मई, 1961 में अन्तर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के आदेशों के अधीन विनियमित किया जाता है,

(ख) "अधिकारी" से सचिवालय के कारभार में नियुक्त या भारत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "पद" से सचिवालय में वह अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई सिविलियन पद जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है;

(ii) कोई महाकसानी पद जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट है;

(iii) कोई नावधिक पद जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है तथा सचिवालय में कर्तव्यार्थ तैनात, रक्षा सेवाओं के किसी अधिकारी द्वारा घृत है;

(घ) "राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत है,

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाखण्ड अनुसूची अभिप्रेत है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1976

सा० का० वि० 703.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त मनोधान करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (तृतीय मनोधान) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 को अनुसूची में, क्रम संख्या 74 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाव निम्नलिखित क्रम क्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी; अर्थात्—

अनुसूची

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवृत्त पद अथवा अधिवृत्त पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले के लिए आयु | सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य प्रायोगिक प्रवृत्तियों के लिए आयु |
|-------------|-------------------|----------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75. | उप-सम्पादक 'आवाज' | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, "ग्रुप सी", अराज्यपत्रित, अलिपिक वर्गीय | 470-15-530-द०रो० 20-650-द०रो० 25-750 रुपये | लागू नहीं होता | *21 से 25 वर्ष के बीच | <p>आवश्यक -</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पत्र-कारिता में डिप्लोमा।</p> <p>(2) अंग्रेजी/हिन्दी से 'उर्दू' में अनुवाद करने और लिखने की योग्यता और दक्षता। प्राथमिक 'उर्दू' में लिखने का अनुभव।</p> <p>(3) अच्छा सामान्य ज्ञान जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और भारतीयों और विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी शामिल है।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>कुछ समाचारपत्रों या समाचार एजेंसी में काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।</p> |

क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक प्रवृत्तियों के मामले में भी लागू होगी

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा निम्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है

वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

*टिप्पणी:—“प्रत्येक मामले में, भर्ती नियमावली के कालम 7 में निर्दिष्ट आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर के उम्मीदवारों से आवेदनपत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी।

जिन पदों पर नियुक्तियों रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है, उनके बारे में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए, कहा जाता है।”

New Delhi, the 24th April, 1976

G.S.R. 703—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after the serial number 74 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

| Sl. No. | Name of post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---------|-------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75. | Sub-Editor 'Awaz' | One | General Central Services, 'Group C' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs.470-15-530-EB-20-650-EB-25-750. | Not applicable | *Between 21 and 25 years | Essential : (i) Degree of a recognised University or Diploma in Journalism from a recognised Institute. (ii) Proficiency and ability to write and translate from English/Hindi into 'Urdu'. Experience of writing in Modern 'Urdu'. (iii) Good knowledge including information about national and International events and Indian as well as foreign personalities. Desirable : Atleast 2 years' experience with some Newspapers or News Agency. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|-----------------------------|--|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Not applicable | Two years | by Direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

*Note :—“The crucial date for determining the age limit mentioned in Col. 7 of the Recruitment Rules, will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.”

[File No. 1/9/75-B(A)]